(b) relatively between the rates for smalls, wagon loads and train loads;

(c) minimum weight for availing of wagon loads|train loads classification as prescribed in the Goods Tariff;

(d) Railway Risk and Owner Risk rates, minimum distance for charge, minimum weight for charge, minimum charge per consignment, wharfage and demurrage charges and other charges prescribed in the Goods Tariff.

1.1.3. *Siding Charges*

The policy and rules for provision of sidings and levy of siding charges interest and maintenance charges and terms and conditions for siding agreement.

1.1.4. *Parcel Rates*

(a) rates applicable to different descriptions of parcels and luggage traffic;

(b) feasibility of integrated rates for goods in smalls and parcels;

(c) minimum distance for charge, minimum weight for charge and minimum charge for consignment etc. as laid down in the Coaching Tariff.

1.1.5. *Rates and Miscellaneous Charges for*

(a) military traffic; and

(b) postal traffic.

1.1.6. *Rules for carriage of dangerous goods as contained in Red Tariff.*

1.1.7. *Integrated Intermodal Services*

Charges to be levied for integrated intermodal transport such as door to door service in container or collection of traffic by road for a nodal point for further movement by rail.

1.1.8. *Traffic Costing*

System of traffic costing on the Railways.

1.1.9. *Railway Rates Tribunal*

Jurisdiction of the Railway Rates Tribunal.

1.2. To make interim recommendations on any one or more subjects mentioned above as may be required by the Ministry of Railways.

रेलवे स्टेशनों पर टिकटों की बिक्री

611. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन 10 स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां पर टिकटों की सर्वाधिक बिक्री होती है ;

(ख) पिछले वर्ष के दौरान इन दस स्टेशनों पर कुल कितने रुपये के टिकटों की बिक्री की गई ;

(ग) क्या सरकार को टिकटों के संबंध में जालसाजी की जानकारी है ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) टिकटों की अधिकतम बिक्री वाले 10 स्टेशनों के नाम नीचे दिए गए हैं :–

1. बम्बई वी. टी.
2. मद्रास सेंट्रल
3. नई दिल्ली
4. हावड़ा
5. बम्बई सेंट्रल

6. अहमदाबाद
7. बेंगलूर सिटी
8. पटना जं०
9. चर्च गेट
10. दिल्ली जं०

(ख) इन स्टेशनों पर कुल 565.48 करोड़ रु० के टिकट बेचे गए।

(ग) और (घ) अनुचित टिकटों की बिक्री रोकने के लिए सतर्कता, वाणिज्य तथा सुरक्षा संगठनों द्वारा समय-समय पर जांच की जाती है।

उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधायें

612. **मौलाना अबेदुल्ला खान आजमी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन-कौन से रेलवे स्टेशन हैं जहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन-कौन से रेलवे स्टेशन हैं जहां आगामी तीन वर्षों के भीतर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में सभी स्टेशनों पर कब तक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) स्टेशनों पर संभाले जाने वाले यातायात की मात्रा के आधार पर, वहां सुविधाओं की व्यवस्था निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाती है। स्टेशनों का और अधिक आधुनिकीकरण तथा अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करना एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्य यातायात में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखकर किया जाता है। रेलों का यह प्रयास रहता है कि भारतीय रेलों के सभी स्टेशनों पर, जिनमें उत्तर प्रदेश स्थित स्टेशन भी शामिल हैं, मानदंडों के अनुसार सुख-सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। यह कार्य विभिन्न स्टेशनों की तुलनात्मक आवश्यकताओं और धन की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

रेलवे में हिन्दी की पुस्तकें

613. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में रेलवे में हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर कितने रुपये खर्च किये गये;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु कोई चयन समिति गठित की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो विगत वर्ष में उसकी कितनी बैठकें हुई और उसने कितनी पुस्तकों का चयन किया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलों पर हिंदी पुस्तकालयों के लिए हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की गई कुल राशि इस प्रकार है :–

1988–89 – 21,92,036.00 रुपये

1989–90 – 22,23,002.00 रुपये

1990–91 – 6,82,063.00 रुपये

(ख) रेलों के हिंदी पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों के चयन हेतु बोर्ड स्तर पर पुस्तक चयन उपसमितियों का गठन वर्ष 1988–89 तथा 1989–90 के दौरान किया गया था। जहां तक 1990–91 का संबंध है, बोर्ड स्तर पर किसी उपसमिति का गठन नहीं किया गया था। अतः क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन कारखानों के महाप्रबन्धकों से कहा गया था कि वे पुस्तक चयन समितियों का गठन अपने स्तर पर करें, बहरहाल, अब विनिश्चय किया गया है कि वर्ष 1991–92 से हिंदी पुस्तकों की खरीद गृह मंत्रालय